[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Order

The 11th November, 2009

No. S. O. 93/P.A. 16/1952/S. 10/2009.—Whereas, the Governor of Haryana is of the opinion that in view of the reciprocal common transport agreement among the Governments of Haryana, Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh executed on the 14th October, 2008 and published *vide* Haryana Government, Transport Department, notification No. S.O. 119/C.A. 59/1988/S. 88/2008, dated the 16th December, 2008, the owner of Motor Cabs/Taxis/Auto-rickshaws holding non-temporary permits and using clean fuels (CNG) conforming to prevailing EURO norms, registered in the National Capital Territory of Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh and plying in Haryana sub-region of National Capital Region should be granted exemption from payment of all taxes to promote public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 10 of the Punjab Passengers and Goods Taxation Act, 1952 (Act 16 of 1952), the Governor of Haryana hereby exempts the owners of above mentioned vehicles covered under the above said notification dated the 16th December, 2008, and plying in the Haryana sub-region of National Capital Region from the operation of the provisions of section 3 of the said Act to the extent of passenger tax on fare.

RAMENDRA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

46476—L.R.—H.G.P., Chd.

भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 11 नवम्बर, 2009

संख्या का० आ० 93/पं०अ० 16/1952/धा० 10/2009.—चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच पारस्परिक सामूहिक परिवहन करारनामा दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 को निष्पादित तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 119/के०अ० 59/1988/धा० 88/2008, दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित को ध्यान में रखते हुए मोटर कैब/टैक्सी/आटो-रिक्शा के मालिकों को जिनके पास स्थाई परमिटस हों तथा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हरियाणा उप क्षेत्र में चल रहे हों, वे प्रचलित ई०यू०आर०ओ० मानकों के अनुसार शुद्ध ईंधन (सी०एन०जी०) का प्रयोग करते हों, लोकहित को बढ़ावा देने के लिए सभी करों के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए;

इसलिए, अब, पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 16), की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उपरोक्त वर्णित वाहनों जो उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत आते हों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हरियाणा के उप क्षेत्र में चल रहे हों, के मालिकों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के प्रवर्तन से, भाड़े पर यात्री कर की सीमा तक छूट देते हैं।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी एवं कराधान विभाग।